

बीएसईएस लोक अदालत में निपटाए 3000 से अधिक मामले

नई दिल्ली: 11 फरवरी। बीएसईएस द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं समिति के सहयोग से आयोजित लोक अदालत में बिजली चोरी के 3000 से अधिक मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया। बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए साकेत व द्वारका कोर्ट्स में तथा बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट व पीएलए बिल्डिंग में इन अदालतों का आयोजन किया गया था।

कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी, और मीटर से छेड़छाड़ कर की जाने वाली चोरी— दोनों तरह के मामलों का यहां निपटारा किया गया। यहां सामान्य मामलों का तो निपटारा यिका ही गया, साथ ही उन मामलों को भी पिपटारा गया, जो जो किसी अदालत या फोरम में लंबित पड़े थे। बीएसईएस ने उपभोक्ताओं से अपील की थी कि वे बिजली चोरी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए नोटिस व पत्रों के अलावा, एफएम चैनलों, पर्चे—पोस्टरों, ईमेल, एसएमएस, वॉट्सऐप, आदि का भी इस्तेमाल किया गया था।

बिजली चोरी के मामलों के निपटारे के बाद सेटलड रकम के भुगतान के लिए अदालत परिसर में ही अलग से कैश काउंटर की व्यवस्था थी। यही नहीं, ऑन-द-स्पॉट, बिजली के नए कनेक्शन/ री कनेक्शन के आवेदन करने की सुविधा भी उन्हें वहीं उपलब्ध कराई गई।

लोक अदालत के माध्यम से पूर्वी, मध्य, दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में रहने वाले बीएसईएस उपभोक्ताओं को एक अवसर मुहैया कराया गया, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल व परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, सेटलड रकम के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय दिया गया है।

लोक अदालत में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का निपटारा करवाया। अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत पहुंचे उपभोक्ताओं में, घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा, उद्योगपति, फैक्टरी मालिक, बिजनेसमैन और नौकरीपेशा लोग भी शामिल थे।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोक अदालत सभी के लिए सार्थक रहा। उपभोक्ताओं को अपने मामलों के त्वरित निपटारे का अवसर मिला और साथ ही, लंबी व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से निजात मिली। न्यायपालिका के लिए भी यह अच्छा मौका रहा, क्योंकि बड़ी संख्या में बिजली चोरी मामलों का निपटारा एकसाथ हो गया। और, बीएसईएस के लिए तो यह अच्छा रहा ही, क्योंकि इतने उपभोक्ता आ अब मीटरीकृत हो जाएंगे।

कड़कड़डूमा कोर्ट और माता सुंदरी रोड स्थित पीएलए बिल्डिंग में शनिवार और रविवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया तथा साकेत व द्वारका कोर्ट्स में शनिवार को इसका आयोजन किया गया।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।
